(वाद संख्या–**968/17**)

06.08.2019

उपस्थिति हेतु नोटिस दिये जाने के बावजूद, परिवादी, मुस्तरी खातून, पत्नी अजीमुद्दीन अनुपस्थित हैं।

परिवादी की ओर से उसके पति, अजीमुद्दीन पुत्र वदिरुद्दीन के नाम से प्राप्त इंदिरा आवास की स्वीकृत राशि का भुगतान, एक दूसरे, अजीमुद्दीन पुत्र मोकीमुद्दीन को किये जाने के विरूद्ध दाखिल परिवाद पत्र पर जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्रतिवेदन की मांग की गयी तथा उन्हें इस निमित सात बार स्मारित भी किया गया।

यह बड़े दुःख की बात है कि सरकारी राशि के दुरूपयोग/गबन से संबंधित प्रसंगाधीन मामले को जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तथा आयोग को वांछित प्रतिवेदन अभी तक समर्पित नहीं किया गया है।

परिवादी की ओर से दाखिल परिवाद–पत्र के साथ संलग्न अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बारसोई के दिनांक–28.12.2016 के आदेश से यह प्रतीत होता है कि प्रसंगाधीन मामले की अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बारसोई के समक्ष शिकायत की सुनवाई के समय भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारसोई द्वारा उपस्थित होकर भी अपना पक्ष नहीं रखा गया तथा अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बारसोई द्वारा प्रस्तुत मामले का संज्ञान लेकर एकपक्षीय आदेश द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारसोई को धोखे से इंदिरा आवास का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति अजीमुद्दीन, पुत्र मोकीमुद्दीन पर थाना में आपराधिक मामला दर्ज करते हुए, उनके द्वारा इंदिरा आवास हेतु ली गयी सम्पूर्ण राशि की उनसे वसूली करते हुए, उक्त वसूली की गयी राशि को परिवादी के पति, अजीमुद्दीन, पिता वदिरुद्दीन को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश से यह प्रतीत होता है कि प्रसंगाधीन मामले में सरकारी सेवकों द्वारा धोखाधड़ी की गयी है।

जिला पदाधिकारी, कटिहार को यह निर्देश दिया जाता है कि वह परिवादी के परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में अगर अगली निश्चित तिथि–14.09.2019 को वांछित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित नहीं किया जाता है तो आयोग को विवश होकर उनके

विरूद्ध भा0द0स0 की धारा–176 के अंतर्गत कारित अपराध के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु विवश हो जाना पड़ेगा।

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, कटिहार को आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवाद–पत्र (पृ0–5–1/प0) की प्रति भी संलग्न कर भेजी जाय।

उक्त तिथि को उपस्थिति हेतु परिवादी को भी नोटिस निर्गत की जाय।

संचिका दिनांक–14.09.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल क़ुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>